

2/12/19

पत्रावली पेश हुई। वकील पद्मकारान उपा
शाह्यप्राप्ति हेतु समुचित अवसर दिए
जाने के बावजूद भी कोई पेश नहीं किया

अतः शाह्यप्राप्ति बन्द की जाती
है। शाह्य के अभाव में सार्पना-पत्र
स्वार्थित किया जाता है।

पत्रावली फॉर्मल नुमार होकर
नम्बर से कम की जाकर स्थायित
दफ्तर हो।

साक्ष्यक नलिनकर, प्रोविन्स

